Bill No. 35 of 2013

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of section 40-A, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- After the existing section 40 and before the existing section 41 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), the following new section shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted, namely:-

"**40-A. Power to grant exemption from market fee.**- If the State Government is satisfied that it is expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, exempt, whether prospectively or retrospectively, any licensee or class of licensees specified in the notification from payment of market fee payable on any agricultural produce bought or sold by him in the market area, without any condition or with such condition as may be specified in the notification.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To facilitate investment in the State and to encourage establishment of Agro-processing and Agri-Business enterprises it becomes desirable to extend some concessions, exemptions or relaxations to licensee or class of licensees in the public interest. There is no explicit provision for the power of exemption from payment of market fee in the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Therefore, it has been proposed to insert a new section 40-A in the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 with a view to explicitly empower the State Government to grant exemption from payment of market fee payable on any agricultural produce bought or sold in the market area.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

गुरमीत सिंह कुनर,
Minister Incharge.

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2013 का विधेयक सं. 35

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम**,** 2013 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं.38 में धारा 40-क का अन्त:स्थापन.- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं.38) की विद्यमान धारा 40 के पश्चात् और विद्यमान धारा 41 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी और सदैव अन्त:स्थापित की हुई समझी जायेगी, अर्थात्:-

"**40-क. मण्डी फीस से छूट प्रदान करने की शक्ति.-** यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चाहे भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों के वर्ग को, मण्डी क्षेत्र में उसके द्वारा क्रय की गयी या विक्रय की गयी किसी भी कृषि उपज पर संदेय मण्डी फीस के संदाय से, किसी भी शर्त के बिना या ऐसी शर्त सहित, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, छूट प्रदान कर सकेगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में विनिधान को सुकर बनाने और कृषि प्रसंस्करण तथा कृषि कारबार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए लोकहित में यह वांछनीय हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों के वर्ग को कुछ रियायतें, छूटें या शिथिलीकरण प्रदान किये जायें। राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 में मण्डी फीस के संदाय से छूट प्रदान करने की शक्ति के लिए कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है।

अत:, मण्डी क्षेत्र में क्रय की गयी या विक्रय की गयी किसी भी कृषि उपज पर संदेय मण्डी फीस के संदाय से छूट प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से सशक्त करने की दृष्टि से राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 में एक नयी धारा 40-क अंत:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

गुरमीत सिंह कुनर,
प्रभारी मंत्री।

2013 का विधेयक सं.35

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)
राजस्थान विधान सभा

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,
विशिष्ट सचिव।

(गुरमीत सिंह कुन्नर, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 35 of 2013

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY,
Special Secretary.

(Gurmeet Singh Kunnar, **Minister-Incharge**)